Gram : FORDEV
Office : 0755-2674204, 255182
Fax : 0755-2551757
Website : www.mpsfdc.com
E-mail : mprvvn@sancharnet.in
: mprvvn@rediffmail.com

466

MADHYA PRADESH RAJYA VAN VIKAS NIGAM LIMITED

REGISTERED OFFICE : Panchanan 5th Floor, Malviya Nagar, Bhopal - 462 003 (M.P.)

क्रमांक/वविनि/विपणन/2013/3856 दिनांक 25/10/13

प्रति,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक,
भोपाल/जबलपुर.
समस्त संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।

विषयः—म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकडी/ लकड़ी के कोयले/अन्य संग्रहित वनोपज एव व्यापारिक बांस की नीलामी में विक्रय शर्तो को विनियमित करने वाले संशोधित नियम।

संदर्भ :—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5542 दिनांक 27.12.2010

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा काष्ठ एवं बांस की नीलाम शर्तो में शर्त क्रमांक 1 क में आंशिक संशोधन करते हुए म.प्र.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले/अन्य संग्रहित वनोपज एवं व्यापारिक बांस की नीलामी में विक्रय शर्तो को विनियमित करने वाले नियम संशोधित कर प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तद्नुसार नीलामी की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु म.प्र.शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/निवर्तन/2013/53/3656/3687 दिनांक 11.10.2013 सहपत्र सहित संलग्न प्रेषित है।

निमित्त म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(ए.एस. जोशी)
प्रबंध संचालक

465

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: apccfproduction@mpforest.org

क्रमांक/निर्वतन/2013/53/3686 भोपाल, दिनांक 11/10/2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज नीलाम मे बयाने (**EMD**) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बाबत्।

—::00::—

विषयांकित संबंध में म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल ने शासन के आदेश क्रमांक/समिति/406/705 दिनांक 09.10.2013 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा वनोपज नीलाम में बयाने की राशि (**EMD**) चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है कि, "प्रश्नाधीन प्रकरण में चैक से बयाने (**EMD**) की राशि भुगतान (**Confirmation**) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लाट मुक्त किया जावेगा"।

उपरोक्तानुसार अब बयाने की राशि क्रेता से चैक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तथा बयाने की राशि का चैक प्राप्त होने पर, उक्त निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ.आर.पी.सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/निर्वतन/2013/53/3687 भोपाल, दिनांक : 11/10/2013

प्रतिलिपि:– समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सहपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

15-10-13

E:\MG\S.B.K\Nirvartan_Letter3.doc

464

व.पत्र

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/406/ 105 भोपाल, दिनांक 09/10/2013

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बावत।

संदर्भः– मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/2114/1596/2013/10–3 भोपाल दिनांक 07.10.2013

—0—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 406 वीं बैठक दिनांक 07–05–2013 (अ.प्र.मु.व.सं. उत्पादन के विषय क्रमांक–05) में वित्त विभाग की सहमति उपरांत वनोपज नीलाम में बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है की "प्रश्नाधीन प्रकरण में चेक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लॉट मुक्त किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी.बी.सिंह)
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/406/ भोपाल, दिनांक /10/2013

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 07–05–2013 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

निर्वाण
प्रभारी श्री
अ.प्र.मु.व.सं.उत्पा.
10.10

म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

नीलाम की संशोधित शर्तें

म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम लि. के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय शर्तों की विनियमित करने वाले नियम :--

सर्व साधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई और/या संग्रहित की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी तथा /या संग्रहित लकड़ी के कोयले /अन्य संग्रहित वनोपज के विभिन्न लाटों का विक्रय संभागीय प्रबंधक...................... परियोजना मण्डल .... व्दारा दिनांक .... को .... बजे से आरंभ करते हुये और यदि आवश्यक हुआ तो अगले.................... दिनों को .... बजे तक सार्वजनिक नीलामी व्दारा किया जावेगा ।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई इमारती लकड़ी / जलाऊ लकड़ी / लकड़ी के कोयले/अन्य संग्रहित वनोपज के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे, संभागीय प्रबंधक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारंटी नही है, इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लॉट या उन लॉटों का जिसके लिए/जिनके लिए वे बोली लगाना चाहते है, स्थल पर निरीक्षण कर लें। अनुरोध करने पर लॉटों और मापों केब्यौरे संबंधित संभागीय प्रबंधक/परियोजना परिक्षेत्राधिकारी/डिपो अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये जाये तो म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम के विरूद्व मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिए कोई भी दावा नही होगा।

नीलाम की शर्तें :-

4b2

1 (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लॉट के लिये बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह उसकी शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करें और प्रत्येक लॉट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो, उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000/- रू. इनमें से जो भी अधिक हो, की बयाने की राशि जमा न कर दें। बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जा सकेगी कि यदि वह नीलामी के दौरान पहले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हो तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सके। वनोपज नीलाम में बयाने की राशि (EMD) चेक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है कि ''प्रश्नाधीन प्रकरण में चेक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लाट मुक्त किया जावेगा''।

(कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कक्ष-उत्पादन का पत्र क. निर्वर्तन/2013/53/3686/3687 दिनांक 11.10.2013)

(ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा रकम नीलामी समाप्त होने पर,उन्हें उसके लिये सम्यक रूप से टिकट लगी रसीद देने पर वापिस लौटा दी जायेगी। सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लॉट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में, जैसा कि निम्नलिखित शर्त (2) (क) के अधीन अपेक्षित है, समायोजित कर ली जायेगी।

2 (क) (एक) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलामी की तारीख से 7 दिवस के भीतर (नीलामी की तारीख को छोड़कर) जो भी संभागीय प्रबंधक द्वारा स्व-विवेक से अनुमत किया जावे, सफल बोली लगाने वालों को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए, मॉग जमा रसीद,बैंकर्स चैक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किये गए रेखित बैंक ड्राफ्ट,द्वारा जो संबंधित संभागीय प्रबंधक. .... परियोजना मण्डल .... के पक्ष में आहरित होगा, भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1 (क) के अधीन बयाने के रुप में जमा की गई राशि वन विकास निगम के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलामी की जावेगी ।

2 (क) (दो) उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती, नीलामी में लॉट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करें, तो क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम्पूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए बिलम्ब की कालावधि के लिये उस पर ब्याज,स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर ,विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। उसके पश्चात इन शर्तों के विभिन्न खण्ड़ों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं,जो विक्रय को विनियमित करती हो, की गणना नीलामी की तारीख से की जावेगी। वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्वति नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिए अनुसार होगी।

स्थान भाड़ा नीचे दी गई शर्त 14 (क) के अनुसार वसूली योग्य होगा।

2 ख (एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि क्रेता द्वारा बोली की मंजूरी की तारीख से, (मंजूरी की तारीख को छोड़कर) जो संभागीय प्रबंधक द्वारा उसे लिखित रूप में पंजीकृत डाक से संसूचित की जावेगी, 45 दिन के भीतर भुगतान की जायेगी।

तथापि अपवादित मामले में संभागीय प्रबंधक, क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 45 दिन की अवधि को, नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर, 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा। यदि 45 वे एवं 75 वे दिन अवकाश रहता है तो संभागीय प्रबंधक अगले कार्य दिवस तक अवधि बढ़ा सकेगा। साथ ही यदि कोई आवेदन पत्र समयवृद्धि हेतु 45 दिन के अन्दर या 45 वे दिन को शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर प्राप्त नहीं होता है तो संभागीय प्रबंधक को उक्त दिवस के अगले दिनांक को विक्रय निरस्त करना बंधनकारी होगा । बोली की शेष राशि का भुगतान संभागीय प्रबंधक की मॉग जमा रसीद (Call Deposit Receipt) बैंकर्स चैक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए रेखित बैंक ड्राफ्ट (Crossed Bank Draft) द्वारा जो संभागीय प्रबंधक .... परियोजना मंडल, के पक्ष में आहरित होगा के व्दारा किया जावेगा।

(ख) (दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष राशि पर छियालीसवें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समय–समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिये 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में,तथा 15 दिन से अधिक दिनों की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

2 (ग) (एक) उपर्युक्त शर्त 2 (क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा मध्यप्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2002 (कमांक 20 सन 2002) एवं म.प्र. मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2006 तथा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम –1956 के उपबंधों के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य विकय कर, वन विकास उपकर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विकय मूल्य सहित खरीददार से की जावेगी।

2 (ग) (दो) फायनेंस एक्ट 1988 की नवीन प्रतिस्थापित धारा 206 सी एवं 44 ए0 सी0 के प्रावधानों के अनुसार,जो कि 1 जून, 1988 से प्रभावशील हैं, खरीददारों से विकय मूल्य पर आयकर भी वसूल की जायेगी।

2 (ग) (तीन) उपर्युक्त शर्त खण्ड (2) (क) तथा (ख) के अधीन विकय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा, जब तक उक्त उप खण्ड 2 (ग) (एक) एवं 2 (ग) (दो) के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य विकय कर, आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

2 (ग) (चार) केता पश्चात्‌वर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो, जिनमें इन शर्तो के अधीन उसे बेचे गये माल पर वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य विकय कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशिओं का भुगतान भी शामिल है उत्तरदायी होगा । ऐसे भुगतान संभागीय प्रबंधक व्दारा लिखित में मांग की जाने के 15 दिन के भीतर करना होगा ।

2 (ग) (पांच) नीलाम के समय ई0एम0डी0 राशि जमा करते समय केताओं को उनका/उनकी संस्था का पेन नंबर हेतु आयकर विभाग व्दारा जारी पेन कार्ड की छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा ।

किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की तब तक अनुमति नही दी जाऐगी, जब तक की वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यारनाभा,जो सक्षम विधि न्यायालय द्वारा समयक रूप से प्रमाणित हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो, या उस फर्म का, जिसका भागीदारी होने का वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण पत्र संभागीय प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत नही करता। "एक व्यक्ति को मुख्त्यारनामा (Power of Attorney) प्रस्तुत करने पर केवल एक व्यक्ति या फर्म की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी। "

4 कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में बोली लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलाम में बोली नही लगायेगा।

5 संभागीय प्रबंधक की लिखित अनुमति को छोड़, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर वन ठेके के कारण या उसके अधीन निगम का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नही लगायेगा।

6. संभागीय प्रबधंक प्रत्येक लॉट के लिए कोई आरक्षित मूल्य आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लॉट को नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु जब, जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो।

7. संभागीय प्रबंधक, पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम निश्चित कर सकेगा और बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार निश्चित की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा। बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिमं अविवदास्पद बोली फिर से तत्काल प्रारम्भ की जावेगी।

8. सभागीय प्रबंधक को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा :–

(क) नीलाम की किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से रोक देने का।

(ख) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का ।

(ग) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को स्वीकार करने का तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लॉट को नीलाम से वापस लेने का, भले ही बोली लगाने वाले उसे खरीदने के लिए तैयार हो।

9 सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति, उसकी बोली स्वीकार कर लिये जाने के बाद, उसके पक्ष में बोली समाप्त किये गये लॉट के संबंध में बोली पत्रक पर हस्ताक्षर करेगा तथा संभागीय प्रबंधक को अपना डाक का पता लिखित रूप में देगा जिस पर उससे पत्र व्यवहार किया जा सके।सफल बोलीदार व्दारा उसके पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा संबंधित संभागीय प्रबंधक को दी जावेगी। सफल बोलीदार व्दारा दिये गये पते पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सम्यक रूप से सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है।

10. संभागीय प्रबंधक की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होगें तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली द्वारा तब तक आबद्व रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किये जाऐ।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिसकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।

12 (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपयुक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य विक्रय कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जावे तो विक्रय रद्द कर दिया जाऐगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25 प्रतिशत निगम को समपहृत हो जाऐगा। व्यक्तिक्रयकर्ता को तीन वर्षो की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लॉट का नीलाम व्यक्तिक्रयकर्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जावेगा।

12 (ख) यदि बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाय कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से जो लेखबद्व किये जावेगें, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में

असमर्थ था, तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शूल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13 (क) बेची गयी इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले /अन्य संग्रहित वनोपज को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 में दिये अनुसार पूर्ण भुगतान और जहॉ आवश्यक हो वहॉ नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा निगम का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। लॉट/लॉटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जायेगी। डिपों में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहॉ इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/ कोयला/अन्य संग्रहित वनोपज निरीक्षण के लिये तथा लकड़ी उस पर निकासी हैमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी।

13 (ख) बेची गई इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा।

13(ग) डिपो से हटाई जाने वाली समस्त इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला,/अन्य संग्रहित वनोपज संबंधित डिपों अधिकारी/परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी से इस प्रयोजन के लिए प्राप्त किये जाने वाले सम्यक रूप से विहित परिवहन अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अंतर्गत होगी।

13 (घ) क्रेता डिपों से इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला/अन्य संग्रहित वनोपज को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स, वनोपज अथवा वहॉ खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन, जो कि संभागीय प्रबंधक द्वारा किया जाऐगा ,अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

14 (क) यदि बेची गयी इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से दो माह के भीतर डिपो से नही हटाया जाता तो संभागीय प्रबंधक द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगाः–

1. इमारती लकड़ी – रू. 5 (पांच) प्रति घन मीटर प्रतिदिन

2. जलाऊ लकड़ी – रू. 25 (पच्चीस) प्रति स्टेडर्ड माप का चट्टा प्रति माह

3. कोयला – रू. 5 (पांच) प्रति बोरा प्रति माह

(म.प्र.शासन, वन विभाग के पत्र कमांक एफ–25–23/2008/10–3 दिनांक 17.01.2012 एवं मुख्यालय का पत्र क. विपणन/2012/5922/5923 दिनांक 22.02.2012)

मंजूरी की सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी तथापित, अपवादित मामलों में संभागीय प्रबंधक अपने स्वविवेक से ,स्थान भाड़े की वसूली किए बिना, मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अधिकतम अवधि में ,डिपो से बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज हटाने की अनुमति दे सकेगा, बशर्ते कि लाट की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पत्रक अभिलिखित की गई हो । जलाऊ लकड़ी/ कोयला/अन्य संग्रहित वनोपज के लिये भूमि भाड़ा की गणना करने के लिये 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महीने के रुप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रुप में की जावेगी ।

14 (ख) डिपो से बेची गयी तथा खरीदी गयी समस्त इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला,/अन्य संग्रहित वनोपज मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटायी जाऐगी। यदि कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई केता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला अन्य संग्रहित वनोपज हटाये जाने की स्थिति में न हो तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर केता को, केवल अपवादित मामलों में , संबंधित क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक की विशेष अनुज्ञा से, जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त,न हटायी गई इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज के विकय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनाधिक शास्ति उदग्रहित कर सकेगा, इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज हटाने की अनुमति दी जा सकेगी।

455

चार माह की अवधि या ऐसे अवधि, जो संबंधित क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बढ़ायी हो, के समाप्त हो जाने के पश्चात विक्रय मूल्य सहित वन विकास निगम को समपहृत हो जावेगा तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

15 वन विकास निगम, विक्रय की गयी इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला/अन्य संग्रहित वनोपज की किसी भी प्रकार क्षति और हानि के लिए और आग, चोरी दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण, से हुई हानि के लिए किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नही करेगा। विक्रय के बाद डिपों में रखी गयी इमारती लकडी/जलाऊ लकड़ी/कोयला /अन्य संग्रहित वनोपज पूर्णतः क्रेता की जोखिम पर रहेगा।

16 (क) वन मार्गों पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिए संभागीय प्रबंधक से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा :–

(एक). रू. 400/– त्रिमाही प्रति वाहन, अथवा

(दो) रू. 20/–प्रति वाहन, प्रति ट्रिप, एक तरफ की एक खेप के लिए।

16 (ख) त्रिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

(एक). प्रथम तिमाही 1 अप्रेल से 30 जून

(दो). द्वितीय तिमाही 1 जुलाई से 30 सितम्बर

(तीन). तृतीय तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर

(चार). चतुर्थ तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च

17 बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तों की पूर्ण और बिना शर्ते स्वीकृति समझा जायेगा।

18 म0 प्र0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969, भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबन्ध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कान्ट्रेक्ट) नियम शामिल है, जहाँ तक वे लागू हो, सफल बोली लगाने वाले /क्रेता पर विक्रय की शर्तो के रूप में लागू होगें।

19 इन शर्तों के अधीन बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

20 इन शर्तो के अधीन बेची गयी जलाऊ लकडी/जलाऊ लकडी से विनिर्मित कोयले को मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निर्यात नही किया जावेगा। जलाऊ लकड़ी/कोयले के अनुवर्ती क्रेता को भी राज्य के बाहर जलाऊ लकड़ी/कोयले का निर्यात करने का अधिकार नही होगा।

20 (क) (i) किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लाट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरांत एवं क्रेता व्दारा परिदान आदेश प्राप्त कर ,क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लाट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुये उक्त लाट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक को होगा ।

20 क (ii) क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक के लिये यह आवश्यक होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत होने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लॉट निरस्तीकरण भी सम्मिलित है) । शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें ।

20 (ख) क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक व्दारा शर्त 20(क) (i) एवं 20(क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों के अनुरुप पारित निर्णय के विरुद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रबंध संचालक कार्यालय को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा ।

21 ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी ऐजेंट या नौकर को, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक शान्ति या प्रशांति को बाधित करता हो या संभागीय प्रबंधक के सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो, नीलामी विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा, और उसके द्वारा किसी लॉट के, संबंध में जमा की गई बयाने की राशि यदि कोई हो तो, म0 प्र0 राज्य वन विकास निगम मे समपहृत हो जाएगी, इसके अतिरिक्त उसका नाम तीन वर्ष की अवधि के लिए काली–सूची में दर्ज कर दिया जाऐगा।

22 इन शर्तो से उत्पन्न समस्त विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्याधीन होगें।

453

हस्ताक्षर केता

संभागीय प्रबंधक
.............परियोजना मण्डल.............

-11-

A

452

व्यापारिक बांस के नीलाम की शर्तें

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रुप से काटे गये / संग्रहित किये गये व्यापारिक बांस के विभिन्न लाटों का विक्रय संभागीय प्रबंधक .... परियोजना मंडल .... द्वारा दिनांक .... को . ... बजे से आरंभ करते हुये और यदि आवश्यक हुआ तो अगले .... दिनों को .... बजे तक सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जावेगा ।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराये गये व्यापारिक बांस मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे संभागीय प्रबंधक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है ! इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लाट या उन लाटों का जिसके लिये/ जिनके लिये वे बोली लगाना चाहते हैं स्थल पर निरीक्षण कर लें, अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब्यौरे संबंधित उप संभागीय प्रबंधक/ परियोजना परिक्षेत्राधीकारी / डिपो अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है ।यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये जाये तो म0प्र0 राज्य वन विकास निगम के विरुद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिये कोई भी दावा नहीं होगा ।

1 (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिये बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह उसकी शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरुप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करें और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000 रुपये इनमें से जो भी अधिक हो, की बयाने की राशि जमा न कर दें। बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जा सकेगी कि यदि वह नीलामी के दौरान पहले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हो तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सकें। वनोपज नीलाम में बयाने की राशि (EMD) चेक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है कि "प्रश्नाधीन प्रकरण में चेक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लाट मुक्त किया जावेगा"।

(कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कक्ष–उत्पादन का पत्र क्र. निर्वतन/2013/ 53/3686/3687 दिनांक 11.10.2013)

B

451

(ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले मे बयाने की जमा रकम नीलामी समाप्त होने पर उन्हें उसके लिये सम्यक रुप से टिकट लगी रसीद देने पर वापस लौटा दी जायेगी, सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में जैसा कि निम्नलिखित शर्त (2) (क) के अधीन अपेक्षित है समायोजित कर ली जाऐगी ।

2 (क) (एक) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलामी की तारीख से (नीलामी की तारीख छोड़कर) 7 दिवस के भीतर जो भी संभागीय प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से अनुमत किया जावे सफल बोली लगाने वालों को ऐसी और रकम का जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाएं, मांग जमा रसीद, बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किये गये रेखित बैंक ड्राफट द्वारा जो संभागीय प्रबंधक .... परियोजना मंडल के पक्ष में आहरित होगा, भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1 (क) के अधीन बयाने के रुप में जमा की गई राशि निगम के पक्ष में राजसात हो जावेगी और चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलामी की जावेगी ।

(क) (दो) उपर्युक्त शर्त 2(क) (एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि त्रुटिकर्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती नीलामी में लाट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करें तो क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रुप से विश्वसनीय कारण से विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था तो वे संपूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुये विलंब को कालावधि के लिये उस पर ब्याज स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रर्वतन शुल्क का भुगतान करने पर, विक्रय का पुनः प्रर्वतन कर सकेंगे उसके पश्चात् इन शर्तों के विभिन्न खण्डों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं जो विक्रय को विनियमित करती हो की गणना नीलामी की तारीख से की जावेगी । वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति नीचे दी गई शर्त 2(ख) (दो) में दिये अनुसार होगी । स्थान भाड़ा नीचे दी गई शर्त 14(ख) के अनुसार वसूली योग्य होगा ।

450 C.

2 (ख) (एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि क्रेता द्वारा बोली की मंजूरी की तारीख से (नीलाम की तारीख छोड़कर) जो संभागीय प्रबंधक द्वारा उसे लिखित रुप में पंजीकृत डाक से संसूचित की जावेगी 30 दिन के भीतर भुगतान की जावेगी ।

तथापि अपवादित मामले में संभागीय प्रबंधक क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर बोली की शेष राशि के भुगतान की 30 दिन की इस अवधि को , नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिये गये ब्यौरो के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर 60 दिनों तक बढ़ा सकेगा (एवं यदि 30 वें/60 वे दिन अवकाश रहता हैं तो संभागीय प्रबंधक अगले कार्य दिवस तक अवधि बढ़ा सकेगा)। यदि कोई आवेदन पत्र समय वृद्धि हेतु 30 वें दिन के अन्दर या 30 वें दिन को शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस तक प्राप्त नहीं होता है तो संभागीय प्रबंधक को उक्त दिवस के अगले दिनांक को विक्रय निरस्त करना बंधनकारी होगा। बोली की शेष राशि का भुगतान संभागीय प्रबंधक की मांग जमा रसीद, बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किये गये रेखित बैंक ड्राफट द्वारा जो संभागीय प्रबंधक .... परियोजना मंडल के पक्ष में आहरित होगा, किया जाएगा।

2 (ख) (दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान की जाने वाली शेष राशि पर इकतीसवें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समंय–समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिये 15 दिन या उसके कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रुप मे 15 दिन से अधिक दिनों की अवधि की गणना एक माह के रुप में की जावेगी ।

(ग) (एक) उपर्युक्त शर्त 2 (क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 (क0 दो, सन् 1959) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार निगम द्वारा भुगतान योग्य विक्रय कर, वन विकास उपकर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जावेगी।

(ग) (दो) फायनेंस एक्ट, 1988 की नवीन प्रतिस्थापित धारा 206 सी एवं 44 ए0सी0 के प्रावधानों के अनुसार जो कि 1 जून 1988 से प्रभावशील है, खरीददारों से विक्रय मुल्य पर आयकर भी वसूल की जावेगी ।

(ग) (तीन) उपर्युक्त शर्त खण्ड (2) (क) तथा (ख) के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा, जब तक उक्त उप खण्ड 2 (ग) (एक) एवं 2 (ग) (दो) के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य विक्रय कर, आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

(ग) (चार) क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्व के लिये ,भी ,यदि कोई हो जिनमें इन शर्तों के अधीन उसे बेचे गये माल पर निगम द्वारा भुगतान योग्य विक्रय कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है। उत्तरदायी होगा । ऐसा भुगतान संभागीय प्रबंधक द्वारा लिखित रुप से मांग की जाने पर 15 दिनों के भीतर करना होगा ।

(ग) (पांच) नीलाम के समय ई0एम0डी0 राशि जमा करते समय क्रेताओं को उनका/ उनकी संस्था का पेन नंबर हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा ।

3 किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यारनामा जो सक्षम विधि न्यायालय द्वारा सम्यकरुप से प्रमाणित हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो या उस फर्म का जिसका भागीदार होने का वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण–पत्र संभागीय प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता। "एक व्यक्ति को मुख्त्यारनामा (Power of Attorney) प्रस्तुत करने पर केवल एक व्यक्ति या फर्म की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी।"।

4 कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो या वर्जित किया गया हो ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा ।

5 संभागीय प्रबंधक की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन निगम का धन बाकी हो नीलामी में बोली नहीं लगायेंगा ।

6 संभागीय प्रबंधक प्रत्येक लाट के लिये कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलामी से हटा सकेगा परन्तु जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो ।

7 संभागीय प्रबंधक पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम बोली की न्यूनतम रकम निश्चित कर सकेगा और बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार निश्चित की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा।बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अविवादास्पद बोली पर बोली फिर से तत्काल प्रारंभ की जावेगी ।

8 संभागीय प्रबंधक को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्यवाही करने का अधिकार होगा :–

(क) नीलाम कीं किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से रोकना ।

(ख) सबसे ऊँची या किसी भी बोली को अस्वीकार करना ।

(ग) सबसे ऊँची या किसी भी बोली को स्वीकार करना तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लाट को नीलाम से वापस लेना भले ही बोली लगाने वाले उसे खरीदने के लिये तैयार हो ।

9 सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति उसकी बोली स्वीकार कर लिये जाने के बाद उसके पक्ष में बोली समाप्त किये गये लाट के संबंध में बोली पत्रक पर हस्ताक्षर करेगा तथा संभागीय प्रबंधक को अपना डाक का पता लिखित रुप में देगा, जिस पर उससे पत्र व्यवहार किया जा सके। इसी प्रकार उसके पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा उस अधिकारी को दी जावेगी, उस पते पर डाक प्रमाण–पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचना के बारे में यह समझा जावेगा कि वह सम्यक रुप से सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है।

10 संभागीय प्रबंधक की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेकों, के विक्रय सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के अध्यधीन होगें तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली द्वारा तब तक आबद्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किए जाए ।

11 सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिसकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा ।

12 (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार म0प्र0 राज्य वन विकास निगम व्दारा भुगतान योग्य विक्रय–कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जाये तो विक्रय रदद कर दिया जायेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25 प्रतिशत इस निगम को राजसात हो जायेगा। त्रुटिकर्ता को तीन वर्षो की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लाट का नीलाम त्रुटिकर्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जावेगा ।

(ख) यदि बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाय की समुचित और पर्याप्त रुप से विश्वास योग्य कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था, तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा ।

13 (क) बेचे गये व्यापारिक बांस को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी ।जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा निगम का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो ,लाट/ लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जावेगी । डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रुप से बनाये गये द्वार से व्यापारिक बांस ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहां व्यापारिक बांस निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की जावेगी ।

(ख) बेचे गये व्यापारिक बांस का परिद्वान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा ।

(ग) डिपो से हटाये जाने वाले समस्त व्यापारिक बांस संबंधित डिपो अधिकारी / परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किये जाने वाले सम्यक रुप से विहित परिवहन अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अन्तर्गत होगी ।

(घ) क्रेता डिपो से व्यापारिक बांस को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन फिक्चर्स तथा फिटिंग, वनोपज अथवा वहां खड़े वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा ।ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन, जो कि संभागीय प्रबंधक द्वारा किया जावेगा अन्तिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा ।

14 (क) बेचे गये व्यापारिक बांस मंजूरी की सूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर डिपो से हटाया जावेगा ।

(ख) कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो ,उपर्युक्त अवधि 45 दिन के भीतर व्यापारिक बांस हटाये जाने की स्थिति में न हो तो उसे स्थान भाड़ा रु 5/– (रुपये पांच) प्रति विक्रय इकाई प्रति माह की दर से भुगतान करने पर मंजूरी की संसूचना की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति संभागीय प्रबंधक द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।

दो माह की अवधि समाप्त हो जाने पर केता को केवल अपवादित मामलो में क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक .... की विशेष अनुज्ञा से जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाये गये व्यापारिक बांस के विक्रय मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक शास्ति उद्ग्रहित कर सकेगा, व्यापारिक बांस हटाने की अनुमति दी जा सकेगी। दो माह की अवधि या ऐसी अवधि, जो क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक .... द्वारा बढ़ाई हो के समाप्त हो जाने के पश्चात् व्यापारिक बांस यदि न हटाया गया हो तो वह विक्रय मूल्य सहित निगम को राजसात हो जावेगा तथा उसे नीलामी के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल केता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

15 निगम विक्रय किये गये व्यापारिक बांस की किसी भी प्रकार की क्षति और हानि के लिये और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिये किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, विक्रय के बाद डिपो में रखे गये व्यापारिक बांस पूर्णतः केता की जोखिम पर रहेगा ।

16 (क) वन मार्गो पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिये संभागीय प्रबंधक से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा :–

(i) रुपये 400 प्रति तिमाही प्रति वाहन अथवा,

(ii) रुपये 20 प्रति वाहन, एक तरफ की एक खेप के लिये

(ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

(i) प्रथम तिमाही एक अप्रैल से 30 जून

(ii) द्वितीय तिमाही एक जुलाई से 30 सितंबर

(iii) तृतीय तिमाही एक अक्टूबर से 31 दिसंबर

(iv) चतुर्थ तिमाही एक जनवरी से 31 मार्च

17 बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तो की पूर्ण और विक्रय शर्त स्वीकृत समझा जावेगा ।

18 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम,1969 ,भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें संविदा (कांट्रेक्ट) नियम शामिल है ,जहां तक वे लागू हो, सफल बोली लगाने वाले / केता पर विक्रय की शर्तो के रुप में लागू होंगे ।

19 इन शर्तो के अधीन बोली लगाने वाले से किसी कारण से वसूली योग्य कोई राशि भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूली योग्य होगी ।

445 H

20 ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी एजेन्ट या नौकर को, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक शांति या प्रशांति को बाधित करता हो या संभागीय प्रबंधक के सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो, नीलामी विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा ,और उसके द्वारा किसी लाट के संबंध में जमा की गई बयाने की राशि, यदि कोई हो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को राजसात हो जाएगी, इसके अतिरिक्त उसका नाम तीन वर्ष की अवधि केलिये काली–सूची में दर्ज कर दिया जा सकेगा ।

21 इन शर्तों से उत्पन्न समस्त विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।

हस्ताक्षर केता

संभागीय प्रबंधक

.... परियोजना मण्डल................